विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

सत्र 2021–2022

1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत –

1.1.1 विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण के साथ इसी विवरिणका में दी गई है। लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता, अर्हताकारी परीक्षा में औसतन 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनूसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, निःशक्तजनों (म0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1.1.2 यदि किसी पाठ्यक्रम में स्थान रिक्त रहता है तो ऐसे आवेदकों, जिनके अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंक हो, को उस पाठ्यक्रम में प्रवेश संबन्धित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में प्रावधान होने की दशा में दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके कि अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबन्धित हो।

1.1.3 महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को ज्योतिर्विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट, ऊपर वर्णित छूट के अतिरिक्त प्रदान की जावेगी।

1.1.4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

1.1.5 जिन अभ्यर्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हे जीवाजी विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय जमा करना होगा।

1.1.6 नये प्रवेश पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही दिये जायेंगे।

1.2 प्रवेश हेतु अपात्रता–

1.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक / ATKT **(प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक)** परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

1.2.2 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नही मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं रखता है/छोड़ देता है तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

1.2.3 ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी सक्षम न्यायलय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं, या जिनके विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है, या पूर्व में विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अनाचरण/मारपीट करने के गम्भीर आरोप प्रमाणित हों, या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी अभ्यर्थी प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।

1.2.4 पूर्ण कालिक सरकारी/गैर–सरकारी कर्मचारी उन नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते जो कार्यालयीन समय में संचालित होते हैं, किन्तु वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जो कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं।इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।

1.3 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता –

1.3.1 निम्नांकित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करने पर अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक/प्रवेश सूचकांक में 5% अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।

i. एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य अनुभव।
ii. एन0 सी0 सी0 का 'सी' सर्टिफिकेट।
iii. राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता।
iv. खेल–कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता।
v. अर्हताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो।

नोट–किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 5 प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। अधिभार का उपयोग केवल मेरिट निर्धारण में किया जायेगा, अर्हता निर्धारण में नही। अधिभार का लाभ केवल उसी अभ्यर्थी को प्राप्त होगा जिन्होने आवेदन पत्र के साथ संबन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया होगा।

1.3.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में **10** प्रतिशत का अधिभार लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी ।

1.3.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में, 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

1.4 विशिष्टीकरण (Specialisation)संबन्धी नियम –

ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation)के चयन का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न–पत्रों के चयन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

1.4.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु यथा संभव बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.4.2 विशिष्टीकरण का आंवटन मेरिट तथा विद्यार्थी की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंको के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.4.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

1.5 एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –

1.5.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश के लिये अर्हताकारी परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत होना अनिवार्य है, ऐसे अभ्यर्थी को संबन्धित पाठ्यक्रम के पेमेन्ट सीट के शुल्क के अतिरिक्त 25000 यू.एस. डॉलर का भुगतान विदेशी मुद्रा मे करना होगा।

1.5.2 प्रायोजित स्थान पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों। ऐसे अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबन्धी पत्र प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत् करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पाठ्यक्रम की पूर्णता के उपरांत उन्हे पुनः कार्य पर रखा जायेगा।

1.5.3 उन्ही अभ्यर्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हे राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं,के द्वारा प्रायोजित किया गया हो तथा उनके द्वारा पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान किया जाता है।

1.5.4 उक्त आवेदकों को भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रू. 25000 पेमेन्ट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हे पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।

1.6 **अन्य –**

1.6.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से दी गयी है।

2. सीटों का आरक्षण

2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।

2.2 बाह्य संस्थाओं (जैसे DTE आदि) की प्रवेश प्रक्रिया से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निम्न के लिए आरक्षित माने जावेगें।

2.2.1 एक स्थान विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए।

2.2.2 एक स्थान विश्वविद्यालय के नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए।

(वार्ड्स का आशय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है। इस बावत् कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदेशित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करना होगा।)

नोटः इस प्रकार के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। यदि किसी एक श्रेणी में स्थान खाली रहता है तो उसे दूसरी श्रेणी में (नियमित शिक्षक/अधिकारियों से नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों या विपरीत) में परिवर्तित किया जा सकता है।

2.3 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा अभ्यर्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी।

2.4 प्रथम प्रवेश सूची के बाद यदि आरक्षित स्थानों के लिये निर्धारित कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उन स्थानों को दूसरी सूची में ओपेन मानते हुये ओपेन प्रतिस्पर्धा के आधार पर भरा जायेगा।

2.5 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत् करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा ।

2.6 प्रत्येक पाठ्यक्रम में एन.आर.आई./प्रायोजित स्थान निर्धारित स्थान के अतिरिक्त होगा।

3. आवेदन कैसे करें ?

3.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश के लिये आवेदन करना चाहते हैं उनको विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए। यह विज्ञापन समाचार पत्र तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.jiwaji.edu पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को देखकर अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे किस विषय या कितने विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना है। यह सुनिश्चित करने के पश्चात् अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट mponline.gov.in पर जाना होगा। उक्त साईट के माध्यम से अभ्यर्थी स्वयं आवेदन कर सकता है या एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क केन्द्र पर जाकर वहाँ उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति से जीवाजी विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने में सहयोग प्राप्त कर सकता है। कियोस्क पर जाते समय विद्यार्थी पासपोर्ट आकार के अपने दो नवीनतम् छायाचित्र तथा सभी अंकसूची लेकर अवश्य जाये जिससे कि उन्हे स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा सके।

3.2 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम एवं ब्यवसाय, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, संबन्धित कटेगरी, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, पत्र व्यवहार का पता, अन्य गतिविधियों में सहभागिता, सेवारत है या नहीं संबन्धित प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड– जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षा

परिणाम की जानकारी, एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी भरनी होगी। अन्त में अभ्यर्थी को घोषणा भी हस्ताक्षरित करनी होगी। उसी समय अभ्यर्थी को प्राक्टोरियल बोर्ड का फार्म भी भरना होगा।

3.3 अभ्यर्थी की मेरिट उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्कैन किये हुये दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जावेगी। दस्तावेजों के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने पर, उसके परिणाम के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.4 आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी भुगतान की गई फीस रसीद, आवेदन पत्र तथा प्राक्टोरियल बोर्ड के फार्म का प्रिंटआउट प्राप्त कर ले। अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन फार्म का प्रिंटआउट आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों– जैसे अपनी सभी अंकसूची की फोटो कॉपी, जाति–प्रमाण–पत्र, एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में सहभागिता के प्रमाण–पत्रों को संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय विभाग में जमा करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेशित विभाग में स्वयं रिपोर्टिंग करते समय सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों को अपने साथ लाना आवश्यक है, जिसकी सूची नियमों के अंत में दी गई है।

3.5 प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की जायेगी पृथक से।

3.6 आवेदन पत्र शुल्क रुपये 1000/– (आरक्षित वर्ग के लिये रुपये 800/–) के साथ प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के लिये अलग–अलग रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 200/– एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। (उदाहरणार्थ, यदि कोई अभ्यर्थी तीन विषयों में आवेदन करता है तो उसे रुपये 1000+ 600=1600 आरक्षित वर्ग के लिये रुपये 800+600=1400 जमा करना होगा)। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम पॉच विषयों में आवेदन कर सकता है।

3.7 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश के लिये कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3.8 अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची अनकी मेरिट के आधार पर बनायी जावेगी। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिये सूची अलग–अलग बनायी जायेगी। अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्प में से किसी एक का उपयोग कर सकता है।

4. पाठ्यक्रमों की सूची

S.N	Level	Course		
1	**Graduate**	**B.A.LLB**	**B.Com. LLB**	**BBA, BCA**
		Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (BHM&CT)	Bachelor of Tourism Management (BTM)	
		B.Sc. (Honors) Physics	**B.Sc. (Honors)** Chemistry	**B.Sc. (Honors) Mathematics**
		B.Sc. (Honors) Botany	**B.Sc. (Honors)** Zoology	**B.Sc. (Honors)** Biochemistry
		B.Com. (Honors)	**B.A. (Honors)** Mass Communication	
2	**Post Graduate**	**M.Sc.** Biotechnology	**M.Sc.** Molecular & Human Genetics	**M.Sc.** Neuroscience
		M.Sc. Food Technology	**M.Sc.** Microbiology	**M.Sc.** Biochemistry
		M.Sc. Environmental Science	**M.Sc.** Remote Sensing and GIS	**M.Sc.** Computer Science
		M.Sc. Electronics	**M.Sc.** Botany	**M.Sc.** Chemistry
		M.Sc. Environmental Chemistry	**M.Sc.** Electronics & Instrumentation	**M.Sc.** Geology
		M.Sc. Industrial Chemistry	**M.Sc.** Zoology	**M.Sc.** Mathematics
		M.Sc. Pharmaceutical Chemistry	**M.Sc.** Physics	**M.Sc.** Plant and Herbal Resource Management
		M.Sc. Instrumentation and Commercial Methods of Chemical Analysis(MICA)		
		M.B.A. Business Economics	**M.B.A.** Chemical Sales & Marketing Management	**M.B.A.** e-Commerce,
		M.B.A. Financial Administration	**M.B.A.** Human Resource Development	**M.B.A.** Hospital Administration
		M.B.A. Tourism Administration	Master in Journalism & Mass Communication (M J M C)	
		M.A. Ancient Indian History Culture and Archaeology (AIHC&A)	**M.A.** Economics	**M.A.** English
		M.A. Extension Education and Social Work	**M.A.** Women Studies	**M.A.** Hindi
		M.A. History	**M.A.** Jyotirvigyan	**M.A.** Political Science
		M.A. Public Administration	**M.A.** Sanskrit	**M.A.** Yoga
		B.Lib.I.Sc	**M.Com**	**LLM**
		M.Lib.I.Sc	**M. Pharma** Pharmaceutics	**M. Pharma** Pharmacology
		M. Tech. Electronic Engineering	**M. Tech.** Chemical Engineering	
3	**PG Diploma**	Computer Applications (PGDCA)	Financial Administration	Forensic Science.
		Museology	Retail Management	Yoga
4	**Vocational Courses**	**B. Voc** in Cosmetic Science & Beauty Culture,	**B. Voc** Logistic Management in Tourism	**B. Voc** Culinary Skills and Arts
		B. Voc Food Processing	**M. Voc** Food Processing	Diploma Panchakarma
		Diploma Healthcare/Herbal health care & Wellness		Diploma Food Production
	Diploma	Diploma Security Management	Diploma Spirituality & Personality Management	
		English	French	Printing Technology
5	**Certificate course**	English	French	Security Management

5. प्रवेश प्रक्रिया –

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम निम्नानुसार हैं –

5.1. इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यार्थी की मेरिट इन्डेक्स/ आर्हताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

5.2 सूचकांक (Index) निकालने के लिये नियम–

i. विज्ञान एवं जीव विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इन्डेक्स बी0एस–सी0 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी0 एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग होगा। इस इन्डेक्स को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।

ii. अन्य विषयों के लिये स्नातक पाठ्यक्रम जैसे बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0 आदि (तीनों वर्षों छः सत्रों) की परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत इन विषयों में प्रवेश हेतु इन्डेक्स होगा।

iii. स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यार्थी जो अहर्ताकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष/सत्र में सम्मलित हो रहे हैं अथवा हो चुके है और अंतिम सत्र का परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है उनके प्रवेश की मेरिट पूर्व के सत्रों के अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

ऐसे अभ्यार्थियों जिनका अंतिम वर्ष/सत्र का परीक्षा परिणाम लंबित है, उनको उनके द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए। किन्तु ऐसे आवेदकों को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम प्रवेश की घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित न्यूनतम अर्हता से संबन्धित प्रतिशत के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

iv. एम.लिब.आई.एस.सी. में प्रवेश हेतु बी.लिब.आई.एस.सी. या यू.जी.सी. द्वारा मान्य बी0लिब0 के समकक्ष परीक्षा का प्रतिशत इंडेक्स हेतु मान्य किया जायेगा।

v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमो तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10+2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।

vi एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।
- अभ्यर्थी जिन्होने आर्हताकारी परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण की है ।

5.3 प्रवेश सूची की घोषणाः

5.3.1. प्रवेश आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात प्राविधिक प्रवेशित अभ्यार्थियों की प्रथम सूची विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

5.3.2. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के लिए आवेदन पत्र पर भरे गये पाठ्यक्रमों के चयन की प्राथमिकता अंतिम होगी एवं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के उनके द्वारा उल्लेखित प्राथमिकताओं तथा मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

5.3.3. इसके बाद प्राविधिक प्रवेशित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम का निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में शुल्क जमा न होने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

5.3.4. यदि प्राविधिक रूप से प्रवेशित अभ्यर्थी निर्धारित समय में शुल्क जमा नही करता है तो यह माना जायेगा कि वह संबन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रवेश की पात्रता समाप्त हो जायेगी, तथा उस स्थान पर पात्रता मेरिट/इंडेक्स में उसके बाद के अभ्यर्थी को द्वितीय सूची में वह स्थान आवंटित कर दिया जायेगा।

5.3.5. द्वितीय प्रवेश सूची के नियम भी प्रथम प्रवेश सूची की तरह ही होंगे।

5.3.6. स्थान रिक्त रहने पर विश्वविद्यालय अन्य प्रवेश सूची/सूचियॉ जारी कर सकता है।

5.3.7. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षित वर्ग (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./पी.एच. आदि) के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रथम सूची में उनके वर्ग एवं मेरिट के आधार पर प्राविधिक प्रवेश का प्रावधान होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय में शुल्क जमा नहीं करते है तो द्वितीय प्रवेश सूची में उनका आरक्षित वर्ग में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

5.3.8. प्रथम प्रवेश सूची में रिक्त आरक्षित वर्ग के स्थान को द्वितीय सूची में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध करा दिये जायेंगें।

5.3.9. कोविड 19 महामारी के कारण प्रवेशार्थी द्वारा शुल्क आदि का भुगतान करने के पश्चात् ही उनको विश्वविद्यालय आना है।

5.3.10. प्रवेश के लिये संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय अभ्यार्थी को स्वयं अपने मूल अंक सूचियॉ, जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/ एन.सी.सी. प्रमाण पत्र/ एन.एस.एस. प्रमाण पत्र/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन के साथ दो छायाचित्र तथा आधार कार्ड लाना है। उक्त सभी प्रमाण पत्रों की स्वंय प्रमाणित छाया प्रतियां भी लानी होगी, जिसका मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करने के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र अभ्यार्थी को वापस कर दिये जायेंगे।

6. शुल्क वापसी

6.1 यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो 10 प्रतिशत राशि काटकर उसके द्वारा जमा शुल्क वापस कर दिया जायेगा। उक्त तिथि के बाद प्रवेश निरस्त कराने पर केवल प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी।

6.2 यदि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के उपरांत किसी अन्य विषय में प्रवेश चाहता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि नवीन विषय में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। नवीन विषय में स्थानान्तरण की दशा में संबन्धित कोर्स शुल्क के अंतर की अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को जमा करनी होगी। विषय परिवर्तन का केवल एक अवसर ही उपलब्ध होगा।

6.3 यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम् प्रतिशत के साथ अंतिम वर्ष/ सत्र का परीक्षा परिणाम प्रवेश की अंतिम तिथि तक उपलब्ध नहीं कर पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में विसंगति पायी जाती है तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

7. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

7.1 कोई भी स्थिति, जो प्रास्पेक्ट्स में सम्मिलित नहीं है, के लिये प्रवेश समिति को अग्रेषित की जावेगी जो विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम के अनुसार निर्णय लेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

7.2 वैधानिक/कानूनी विवाद की स्थिति में ग्वालियर के जूरिडिक्शन में उसका निराकरण होगा।

7.3 विश्वविद्यालय प्रास्पेक्ट्स में उल्लेखित किसी पाठ्यक्रम को चलाने या न चलाने के लिये अधिकृत होगा।

7.4 विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा/प्रवेश निम्नलिखित तालिका में दर्शायी संस्था द्वारा करवाया जाता हैः।

क.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा एवं प्रवेश कराने वाली एजेन्सियॉ
1	B.E. Chemical / B.E. Electronics / B.E. Computer Science	JEE Examination/ Directorate of Technical Education, Bhopal
2	M.C.A. & M.B.A.	Directorate of Technical Education, Bhopal.
3	D. Pharma / B. Pharma	Directorate of Technical Education, Bhopal.
4	B.P. Ed / MP. Ed.	MP Higher Education through mp online

जो अभ्यर्थी उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रवेश आवेदन–पत्र भरना होगा ।

7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रैगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर इस प्रकार के क्रिया–कलापों में संलग्न पाया जायेगा उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7.6 यदि रैगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित विद्याार्थी को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा । यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

7.7 यदि किसी स्वपोषित पाठ्यक्रम में 10 से कम संख्या में वर्ष 2021–22 में विद्यार्थी प्रवेश लेते है तो ऐसे पाठयक्रमों को संचालित न करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है। इस दशा में विद्यार्थियों को उनके द्वारा जमा शुल्क की समस्त राशि वापिस कर दी जावेगी।

7.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों से शुल्क मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार लिया जावेगा। उक्त विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली शुल्क का निर्धारण उनके अभिभावकों की कुल आय के आधार पर किया जावेगा। यदि उक्त विद्यार्थी पेमेन्ट सीट पर प्रवेश लेते हैं तो उन्हें प्रवेश के समय कॉशन मनी के अलावा पेमेन्ट शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

7.9 जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या अन्य किसी प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तो कमियों के संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

7.10 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

7.11 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा बाद में अगर यह पाया जाता है कि कोई प्रवेश प्रशासनिक चूक अथवा प्रवेश कर रहे काउंसलर की गलती से हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिये जावेगें। इस अवस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण फीस वापिस कर दी जायेगी।

7.12 विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 5 बर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 3 बर्ष के अन्दर में पूर्ण करना होगा। अगर कोई विद्यार्थी उपरोक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नही कर पाता है तो उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। ऐसे विद्यार्थी अपना अध्ययन स्वाध्यायी अथवा दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से पूर्ण कर सकेंगे।

प्रवेश के पश्चात संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय जमा किये जाने वाले दस्तावेज की सूची :

1. प्रवेश हेतु भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट
2. ऑन–लाइन भरी गयी शुल्क की रसीद
3. दसवी, बारहवी एवं स्नातक परीक्षा की समस्त सेमेस्टरों की अंकसूची
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
5. आरक्षित वर्ग को जारी नवीन आय प्रमाण पत्र
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
7. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
8. अंतराल प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी ने 2021 के पूर्व अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो)
9. आधार कार्ड
10. प्राक्टोरियल बोर्ड का फार्म
11. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर ऐण्टी रेगिंग से संबन्धित शपथ पत्र
12. पासपोर्ट आकार के दो नवीन छायाचित्र
13. जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये अर्हता प्रमाण पत्र (Eligibility certificate)

नोटः विद्यार्थी अपने साथ उक्त सभी प्रमाण पत्रों के स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ मूल प्रमाण पत्र भी अवश्य लायें। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत विद्यार्थी को वापस कर दिये जायेंगे।